XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2114 दा / 14 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–7–14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 54 / बी–121 / 2013–14 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10–7–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर द्वारा उनके समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपने पूर्व के आदेश दिनांक 31–5–14 का क्रियान्वयन अन्य आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक तथा अनावेदक क्र. 2 म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर मनन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत आवेदक को शासकीय उचित मूल्य की दुकान आवंटित किए जाने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–14 को दिए गए है । इस आदेश को उन्होंने सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर की ओर से संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आवेदक को बिना सुने संहिता की धारा 52 के तहत अन्य आदेश तक स्थगित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नही है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल आदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत पारित किया गया है नाकि संहिता के प्रावधानों के तहत ऐसी स्थिति में उन्हें सेवा सहकारी संस्था, दुर्गापुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही उक्त अधिनियम के तहत ही करना चाहिए था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश इसी स्तर पर निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सेवा सहकारी संस्था दुर्गापुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के प्रावधानों के प्रकाश में उभयपक्षों को सुनकर करे । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश [illegible] सदस्य	